संख्या-132/2022/119रासनि/23-1-2022/001-38RSN-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 20 जुलाई, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के कुल 10 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-781सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022, पत्र संख्या-782सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022, पत्र संख्या-780सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022 एवं पत्र संख्या-783सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु लैप्स धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,70,13,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	लैप्स धनराशि की स्वीकृति का संदर्भ (शासनादेश संख्या जिसके द्वारा स्वीकृत धनराशि लैप्स हुई)	वर्ष 2021-22 में लैप्स हुई धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नि0खं0-3 झांसी	बंका पहाड़ी से बछेह सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य	74.38	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	66.84	66.84
2	नि0खं0-1 कन्नौज	छिबरामऊ विशुनगढ़ से विशुनगढ़ किसनी मार्ग के मध्य का भाग में विशेष मरम्मत का कार्य	42.38	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	29.65	29.65
3	नि0खं0-1 कन्नौज	छिबरामऊ तालग्राम मार्ग हिम्मतनगला से टीकानगला सिलुआपुर होते हुये अचनकापुर तक सम्पर्क मार्ग	41.74	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	29.22	29.22
4	नि0खं0-1 महोबा	खरेला से बरदा के कि0मी0 1 से 5 में मरम्मत का कार्य।	65.14	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	23.19	23.19
5	नि0खं0-1 महोबा	बम्हौरी से पाठा मार्ग के कि0मी0 1 से 3(830) में मरम्मत का कार्य	49.88	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	18.15	18.15
6	नि0खं0-1 महोबा	बुडेरा से स्योढ़ी मार्ग के किमी 1, 2, 4(300) में सी0सी0 का कार्य।	43.52	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	17.17	17.17

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	लैप्स धनराशि की स्वीकृति का संदर्भ (शासनादेश संख्या जिसके द्वारा स्वीकृत धनराशि लैप्स हुई)	वर्ष 2021-22 में लैप्स हुई धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
7	नि0खं0-1 महोबा	कबरई रिबई मार्ग से कमलखेड़ा सलुआ मार्ग के किमी 1 से 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य	58.49	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	21.92	21.92
8	प्रा0खं0 हमीरपुर	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत बुढई से बैजेमऊ मार्ग की मरम्मत का कार्य	62.35	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	27.30	27.30
9	नि0खं0-2 हमीरपुर	जलालपुर कुपरा से भेड़ी डांडा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य।	57.01	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	25.30	25.30
10	नि0खं0-2 रायबरेली	बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग से बड़ा भगतखेड़ा मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	28.57	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	11.39	11.39
				कुल योग-	270.13	270.13

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृत/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/ दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अनतर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/ दस-2011- 231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित के प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00- 800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(5) राज्य सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(7) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07.06.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 2,70,13,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-132/2022/119**रासनि(1)/23-1-2022/001-38**RSN-**2022, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in